

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिन स्कवाइर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल ADDLDIRMEDICALEDUDME@RAJASTHAN.GOV.IN

No F.7 (44) DME/Acad/2014/ Part 1-00223-Part File (1)/

Date:-

आदेश

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं आरयूएचएस) के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों हेतु मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 98/2020 दिनांक 03.09.2020 के अनुसरण में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिये सेमेस्टर वाईज फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 बैच से ली जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की राशि।	40,202.40 USD (प्रवेश के समय)
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 बैच से ली जाने वाली तीसरे सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक शेष रहे 7 सेमेस्टर्स की राशि।	20,101.20 USD (सेमेस्टर प्रारम्भ होने पर)

- वर्ष 2026-27 के बैच के उपरांत प्रवेश लेने वाले प्रत्येक आगामी बैच से सम्पूर्ण एम.बी.बी.एस. कोर्स के 9 सेमेस्टर की संकलित फीस में 5 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी करते हुए फीस प्राप्त की जावेगी।
- भारतीय रुपये में फीस राशि का निर्धारण सेमेस्टर प्रारम्भ होने की दिनांक (यथा 1 अगस्त/1 फरवरी) को यूएस डॉलर (USD) के प्रचलित मूल्य के अनुसार निकटतम रुपये 100/- तक किया जावेगा।
- छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़े जाने पर शेष सेमेस्टर्स की प्राप्त होने वाली फीस राशि के बराबर राशि जमा कराने का बॉण्ड लिया जावेगा।
- यह प्रावधान राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की भविष्य में सृजित होने वाली एन.आर.आई. कोटे की सीटों के लिये भी लागू होगा।

(बाबूलाल गोयल)

आयुक्त

चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, राजमेस, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं आरयूएचएस, जयपुर।
- चैयरमेन, नीट यू.जी. काउंसिलिंग बोर्ड, एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
- उप निदेशक (अका.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग

